तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री लव प्रताप सिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थी
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक केवियटकर्ता

दिनांक : 11–06–2025

निर्णय

यह निगरानी सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण सं. 52 / 2015 (164 / 2024) में पारित आदेश दिनांक 31–01–2025 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), श्रीमाधोपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। प्रकरण के विचाराधीन रहते प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी पेश कर मौके की वास्तविक कब्जे की भौतिक रिपोर्ट लाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31–01–2025 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है जो प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	स्वयं सिद्ध है और मौके पर प्रार्थी ने आराजी को विकसित किया है तथा अप्रार्थी मौके पर परिवर्तन करने पर अमादा है। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रविष्टि के अतिरक्त भी भौतिक रूप से मौके की कब्जे काश्त की स्थिति की रिपोर्ट तलब किया जाना न्यायोचित था। जिससे मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट होती। जिससे न्यायालय को पक्षकारान को पूर्ण न्याय प्रदान करने में मदद मिलती परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश 31–01–2025 को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अभिभाषक केवियटकर्ता ने प्राथमिक आपत्ति लेते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–01–2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने मौका कमिश्नर को अस्वीकार किया है। उक्त आदेश एक अन्तरिम आदेश है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी संधारण योग्य नहीं है। अतः निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	दिनांक 31–01–2025 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्ति मौका कमिश्नर को अस्वीकार किया है। पक्षकार को स्वयं अपनी साक्ष्य द्वारा अपना पक्ष साबित करना होता है, न्यायालय के माध्यम से अपने पक्ष में साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकती है। निगरानीधीन आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी मौका कमिश्नर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो खारिज हुआ। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्ति मौका कमिश्नर को अस्वीकार किया है, जो उचित है एवं उसमें ऐसी कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिससे निगरानी के माध्यम से निगरानीधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–01–2025 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	